समग्र विकास संस्थान
ग्राम व पोस्ट रोटा
बदायूं (उ० प्र०)

वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष :- 2022-23

CAC अल्लापुरभोगी पर TLM व पुस्तकों के माध्यम से गतिविधि करते हुए बच्चे

प्रशासनिक कार्यालय :- 479/11 C/O हरीश कोचर, मो० कृष्णापुरी सिविल लाइन्स, बदायूं

भूमिका :- उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख शहरों में से एक बदायूं जो राज्य का महत्वपूर्ण ज़िला है ! बदायूं ज़िला उत्तर प्रदेश के "रुहेलखण्ड" में स्थित है जिसमे बदायूं के साथ-साथ बरेली, पीलीभीत शाहजहांपुर, मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा, रामपुर व बिजनौर ज़िले शामिल है ! बदायूं ज़िला गंगा नदी की सहायक नदी सोत नदी के समीप स्थित है, क्षेत्रफल की द्रष्टि से ज़िला बदायूं 4,234.21 Sq.Km. में फैला हुआ है ! जनपद में कुल 15 ब्लॉक है, इनमे कुल 1038 ग्राम पंचायतें के 1474 ग्राम है ! जनपद बदायूं की कुल आबादी 36,81,896 है, जिसमे 19,67,759 पुरुष तथा 17,14,137 महिलाएं है ! यहाँ के लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों की तुलना में 871 महिलाएं है ! बच्चों की बात करें तो 0-6 वर्ष के कुल 6,64,909 बच्चे है, इनमे 3,50,112 लड़के तथा 3,14,797 लड़कियां है ! बच्चों के लिंगानुपात को देखा जाये तो 1000 लड़कों के सापेक्ष 899 लड़कियां है जो वयस्क लिंगानुपात से ज़्यादा है ! जनपद में बोली जाने वाली भाषा में हिन्दी है तथा यहाँ की कुल साक्षरता दर 51.29% है !

परिचय :- समग्र विकास संस्थान (SVS) एक बालाधिकार संस्था है जो वंचित समुदाय के बीच सामुदायिक जागरूकता के साथ-साथ के समस्त बालाधिकारों पर कार्य कर रही है, संस्था जागरूकता बैठकों व सामदायिक गोष्टी के माध्यम से लोगों को स्वेच्छिक सेवा दे रही है ! सन 1998 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत समग्र विकास संस्थान का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, संस्था का ज़मीनी सम्बन्ध जनपद बदायूं से है ! संस्था NGO दर्पण, FCRA, व ITAct 12(A) में भी पंजीकृत है !

विज़न :- समाजिक उन्नति के लिए न्याय और समानता से परिपूर्ण समाज की स्थापना करना !

मिशन :- सम्पूर्ण सामजिक उन्नति के लिए लोगों को संगठित कर सशक्त बनाना ताकि वह अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर सके !

सहयोगी एवं सहायक एजेंसी :-

- क्राई-चाइल्ड राइट्स एण्ड यू, नई दिल्ली
- चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन
- जिव दया फाउंडेशन
-

संस्था का लक्षित कार्यक्षेत्र :-

- "क्राई" के सहयोग से जनपद बदायूं के 2 ब्लॉक (उझानी+उसावां) के 22 ग्रामों में बच्चों की शिक्षा व सुरक्षा के मुद्दे पर कार्यरत है !
- "चाइल्ड लाइन" के सहयोग से संस्था जनपद बदायूं के ब्लॉक उसावां के समस्त ग्रामों बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर कार्यरत है !
- "जिव दया फाउंडेशन" के सहयोग से ब्लॉक उसावां के 5 ग्रामों में बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण के मुद्दे पर कार्यरत है !

संस्था द्वारा समुदाय स्तर पर किये गए कार्य

विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) के साथ की गई पहल :- संस्था द्वारा कार्यक्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों एम् गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों को सक्रिय करने के लिए समय-समय पर बैठकों के माध्यम से उनका क्षमता वर्धन किया गया, जिसमें लोगों को बताया गया कि परिषदीय विद्यालय के सुचारू रूप से संचालन के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक विद्यालय के लिए विद्यालय प्रबधन समिति का गठन किया है ! समिति का दायित्व है कि हर माह सभी सदस्य मिलकर विद्यालय स्तर पर अपनी एक बैठक आयोजित करें जिसमे विद्यालय से सम्बंधित सभी मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ चर्चा कर उन पर साथ मिलकर कार्य भी करें ! SMC सदस्यों की ज़िम्मेदारी है कि वह समय समय पर आकर अध्यापकगण से मिलकर बच्चों के ठहराव, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता, MDM की गुणवत्ता, विद्यालय के आय-व्यय आदि मुद्दों पर बात करें और इस दौरान यदि कोई समस्या आती है तो विद्यालय में होने वाली मासिक बैठक में सभी के समक्ष समस्या को रखते हुए उसको हल करवाने के लिए पहल करें !

- **कार्यक्षेत्र के विद्यालयों में SMC का पुनर्गठन करवाना** :- विद्यालय प्रबन्धन समिति का कार्यकाल पूर्ण होने पर संस्था द्वारा SMC को सक्रिय बनाने के लिए ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के साथ मिलकर बात की गई और विभाग द्वारा किये जाने वाले SMC गठन में शामिल होने का अनुरोध किया गया जिस पर BSA महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए विकास खण्ड उझानी व उसावां के खण्ड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए SMC गठन में संस्था टीम को शामिल करने के लिए आदेशित किया गया जिसके आधार पर संस्था टीम अपने कार्यक्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों के साथ मिलकर ग्रामों में RTE एक्ट के अनुसार खुलीबैठकों के माध्यम से विद्यालय प्रबधन समिति के गठन करवाने में अपनी भूमिका निभाई गई ! 23 विद्यालयों में से 19 विद्यालयों में संस्था टीम द्वारा उपस्थित रहकर विद्यालय प्रबद्न्धन समिति का करवाया गया !

- <u>प्राथमिक विद्यालय सूर्यनगला व संविलियन विद्यालय गढ़ियाचौरा में मध्याह्न भोजन की अनियमताओं को लेकर SMC सदस्यों द्वारा पैरवी कर निरीक्षण करवाया गया :-</u>

जनपद बदायूं के विकास खण्ड उसावां का एक ग्राम सूर्यनगला (मिर्ज़ापुर बसन्त) व गढ़ियाचौरा जो क़स्बा उसहैत से क्रमशः लगभग 3 km. व 8 Km. दूर है, संस्था के प्रयास द्वारा गॉव के लोगों के साथ मिलकर एक लम्बी लड़ाई के बाद वर्ष 2004-05 में गॉव में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण हुआ था तभी से संस्था द्वारा गॉव के साथ साथ अध्यापकों के साथ मिलकर बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता का कार्य भी किया जाता रहा है तथा समय समय पर विद्यालय में RTE Act 2009 के मानदंडो के अनुसार विद्यालय सक्रियकरण के 19 बिन्दुओं पर अवलोकन भी किया जाता है ! जिसके अनुसार विद्यालय की ढांचागत व्यावस्था के साथ साथ अध्यापक के आने जाने का समय बच्चों को मिलने वाली सुविधाएँ (जैसे:- MDM, ड्रेस, किताबे आदि) पर भी जानकारी एकत्रित की जाती है तथा संस्था स्टाफ द्वारा बच्चों को पढ़ाने के दौरान उनकी शिक्षा गुणवत्ता का भी अवलोकन किया जाता है !

माह दिसम्बर में संस्था स्टाफ द्वारा बच्चों को पढ़ाने के दौरान देखा गया कि बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़ने की बजाये और घटता जा रहा है जिसको लेकर जानकारी मिली कि अध्यापक लोग बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे है समस्या की जानकारी मिलने के समय ही शीतकालीन सत्र प्रारम्भ हो गया और लगभग 20 दिन के लिए विद्यालय बन्द हो गये, संस्था स्टाफ द्वारा गॉव में समुदाय को लोगों को बताया कि विद्यालय में बच्चों की शिक्षा का स्तर घट रहा है तथा बच्चों को MDM भी मीनू के अनुसार नहीं मिल रहा है ऐसे में आप लोग विद्यालय जाकर बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता व MDM की स्थिति पर अध्यापको से बात करें और कमियों पर सुधार न होने पर खण्ड शिक्षा अधिकारी (ABSA) व बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) से शिकायत करने को भी समझाया गया !

शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद SMC सदस्यों द्वारा तथा बच्चों के अभिभावकों द्वारा संस्था स्टाफ के बताये अनुसार विद्यालय जाकर अध्यापक से बात की तो अध्यापक द्वारा उलटी कहानी बताकत बहाने बनाना शुरू कर दिये तो समुदाय के लोगों ने इर संस्था स्टाफ को बताया तो संस्था स्टाफ ने लोगों को बताया कि आप लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर अपनी समस्या से अवगत करवाए जिस पर तुरन्त संज्ञान लिया जाएगा ! संस्था स्टाफ द्वारा दिए सुझाव के अनुसार दिनांक 19-01-2023 को बच्चों के अभिभावक श्री रामशंकर ने अपने फ़ोन से 1076 पर कॉल करके बच्चों की समस्या से अवगत कराया जिसके चलते दिनांक 21-01-2023 को ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं द्वारा विद्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया ! निरीक्षण के दौरान BSA महोदय द्वारा व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालान के लिए प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया गया ! विद्यालय में निरीक्षण के बाद से संस्था स्टाफ व् अध्यापकों द्वारा समय समय पर जाकर विद्यालय का अवलोकन किया जा रहा है जिससे अध्यापक भी समयानुसार बच्चों को पढ़ने के साथ साथ सुचारू रूप से MDM बनवा रहे है तथा MDM में बच्चों को फल भी मिलने लगे है !

CBO समूह व महिला मण्डल के साथ की गई पहल :- संस्था स्टाफ द्वारा चिन्हित ग्रामों में बच्चों की शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्षेत्र के समस्त ग्रामों में समुदाय के सशक्त लोगों को चुनकर महिला मण्डल व CBO समूह का गठन किया गया है, महिला समूह में 10-15 महिलाओं को चुनकर समूह बनाया गया है जबकी CBO समूह में महिला व पुरुष को सम्मिलित करके 15 सदस्यों का समूह बनाया गया ! इन समूहों के साथ नियमित सम्पर्क व बैठकों के माध्यम से बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के विषय पर बात करते हुए बताया गया कि माह अप्रैल से नामांकन सत्र प्रारम्भ हो जाता है तो आप लोग अपने अपने बच्चों का समय से नामांकन करवाए इसके अलावा समुदाय के लोगों को बालविवाह, बाल-श्रम, बाल लैंगिक हिंसा, व बाल भिक्षावृत्ति आदि जैसे संगीन मुद्दों पर भी जागरूक किया गया जिससे कोई भी बच्चा इस कुप्रथा/कुरीति का शिकार न हो सके ! जानकारी देते हुए बताया गया कि ग्राम स्तर पर बच्चों की सुरक्षा से सम्बंधित यदि कोई परेशानी/समस्या हो तो आप ग्राम स्तर पर गठित ग्राम बाल संरक्षण समिति व चाइल्ड हेल्प लाइन (1076) पर कॉल कर सकते है अथवा लिखित में पत्र देकर सम्बंधित अधिकारियों से मिलकर जन पहल करने के बारे में भी समझाया गया ! संस्था द्वारा समुदाय के लोगों को कानून की जानकारी के साथ-साथ सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे:- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), बाल श्रमिक विद्या योजना, सन्त रविदास योजना (साईकिल योजना), जननी सुरक्षा योजना व शादी अनुदान आदि के बारे में भी समझाया गया जिससे पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिल सके !

- ग्राम बिचोला व रसूलपुरनगला में CBO सदस्यों द्वारा की गई पहल :- जनपद बदायूं के विकास खण्ड उसावां का एक ग्राम सूर्यनगला (मिर्ज़ापुर बसन्त) व गढ़ियाचौरा जो क़स्बा उसहैत से क्रमशः लगभग 3 km. व 8 Km. दूर है, संस्था के प्रयास द्वारा महिला और सी० बी० ओ० समूह के साथ नियमित वैठकों और संपर्क के माध्यम से बच्चों की शिक्षा और सुधार के मुद्दे पर जागरूक किया जाता है साथ ही साथ समुदाय में ग्राम स्तर की समस्याएँ जैसे आंगन बाड़ी पर राशन ना मिलना, सड़क की व्यवस्था ना होना, गलियों में कीचड़ होना, तथा किसी पंचायती अधिकारी द्वारा समस्या पर कार्यवाही ना करना, आदि के बारे में बताते हुए जागरूक किया जाता है कि इस तरह की समस्या हो तो आप पहले ग्राम प्रधान से बात करें और प्रधान द्वारा कोई कार्यवाही नही की जाति है तो आप लोग 1076 पर कॉल कर शिकायत कर सकते है और सम्बंधित अधिकारी को लिखित पत्र के

माध्यम से भी सूचित कर सकते है ! संस्था की बातों को समझते हुए ग्राम बिचोला के सी०बी०ओ०सदस्यों ने गलियों की कीचड़ साफ़ करवाने के लिए पहले ग्राम प्रधान से कहा की गलियों में कीचड़ होने के कारण बच्चों को स्कूल आने जाने में बहुत परेशानी होती है बड़े बुजुर्ग अक्सर कीचड़ में गिर जाते है हो सकता है कभी बड़ा हादसा हो जाये इसलिए आप इस पर कार्यवाही करवाए लेकिन प्रधान द्वारा कोई कार्य नही किया गया तो समुदाय के लोगों ने परेशांन होकर 1076 पर कॉल की जिस पर तत्काल पैरबी करते हुए गलियों की कीचड़ की सफाई सफाई कर्मचारी द्वारा करवाई गयी ! इसी तरह ग्राम रसूलपुर नगला के सी०बी०ओ० सदस्यों ने 1076 पर कॉल करके सड़क की मांग की है !

- ग्राम शिम्भूनगला में महिला मण्डल व CBO सदस्यों के प्रयास से एक नाबलिग किशोरी का बाल विवाह रुकवाया गया :-ग्राम स्तर पर संस्था द्वारा आयोजित बैठकों व सम्पर्क के माध्यम से बालविवाह, बाल-श्रम जैसे मुद्दों पर भी जागरूक किया जाता है, बाल विवाह के मुद्दे पर जानकारी देते हुए शादी की कानूनी उम्र के बारे में जानकारी दी गई तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह करने पर 1,00,000/- तक का जुर्माना व 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है, इसके अतिरिक्त शादी में शामिल नाई, हलवाई, बाराती, रिश्तेदार, बैंड वाले सभी लोग इस जुर्म के भागीदार होंगे, यदि आप लोगों के संज्ञान में ऐसा कोई करता है तो आप लोग उसे समझाए और बालविवाह के अभिशाप से बचाएं फिर भी अगर कोई बाल विवाह करने से नहीं मानता है तो आप लोग चाइल्ड हेल्प लाइन के टोल फ्री नम्बर (1098) या पुलिस आपातकालीन सेवा के टोल फ्री नम्बर (112) पर फ़ोन कर शादी को रुकवा सकते है ! बैठकों में दी गई जानकारी के बाद ग्राम शिम्भू नगला व न्योरा में महिला मण्डल व CBO की महिलाओं द्वारा अपने-अपने ग्रामों में दो नाबालिग बालिकाओं के बाल विवाह रुकवाने के लिए सबसे पहले परिवार वालों से सम्पर्क कर समझाया गया लेकिन अभिभावकों के न मानने पर चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नम्बर पर कॉल करके पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन व संस्था स्टाफ के संयुक्त प्रयास से दोनों बालिकाओं के बाल विवाह रुकवाए गए!

चाइल्ड लाइन

- ग्राम शिम्भूनगला में समुदाय के सदस्य ने श्रम विभाग द्वारा संचालित विवाह अनुदान के तहत लाभ दिलवाया गया :- ग्राम स्तर पर की गई बैठकों में समुदाय के लोगों को सरकार द्वारा

संचालित योजनाओं जैसे:- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बालश्रमिक विद्या योजना, वृद्धा पेंशन, विवाह अनुदान, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आदि के बारे में भी जानकारी दी जाती है तथा समुदाय के लोगों को उक्त योजनाओं से जुड़वाने के लिए जनपहल भी की जाती है ! ग्राम स्तर पर लोगों को बताया गया कि श्रम विभाग द्वारा विवाह अनुदान के माध्यम से योजना संचालित है जिसके तहत ऐसे परिवार जिनका श्रमिक कार्ड बना हुआ है और कार्ड बने हुए 9 माह पूर्ण हो गए तो ऐसे परिवारों को विभाग द्वारा अपनी लड़की की शादी करने पर 55,000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है ! टीम द्वारा जानकारी देने के उपरान्त ग्राम शिम्भूनगला के गेंदनलाल ने संस्था स्टाफ से सम्पर्क कर अपनी बालिका की शादी के बारे में जानकारी दी तथा विवाह अनुदान योजना में आवेदन की प्रक्रिया को संस्था स्टाफ से पूंछा गया ! जिसमे आवश्यक समस्त दस्तावेज़ों को पूर्ण करवाते हुए संस्था स्टाफ द्वारा उनका आवेदन करवाया गया जिसके तहत उन्हें 55,000/- की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई !

बाल समूह, किशोरी व किशोर समूह के सदस्यों के साथ की गई पहल :- संस्था स्टाफ द्वारा कार्यक्षेत्र के 22 ग्रामों में बच्चों के तीन अलग अलग संगठन बनाये गए है इनमे से एक को "क्रांतिकारी बाल मन्च" का नाम दिया गया है, इस समूह में 8-15 वर्ष में कुल 15 बच्चों को शामिल किया है जिनमे लड़के व लड़कियां दोनों ही शामिल है ! इसके अतिरिक्त 13-18 वर्ष की आयु वर्ग के दो अलग अलग समूह बनाये गए है इनमे से एक समूह को किशोरी समूह व दूसरे को किशोर समूह का नाम दिया गया है ! इन समूहों का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे अपनी बात को रखने के लिए स्वयं तैयार हों और अपने हक़ अधिकारों के प्रति आवाज़ बुलंद कर सकें, उक्त समूहों के साथ हर माह बैठकें आयोजित की जाती है जिसमे बच्चों के साथ बालाधिकार, बाल विवाह, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आदि बिन्दुओं पर जानकारी देकर उनका क्षमता वर्धन किया जाता है, इसके साथ साथ बच्चों के साथ जीवन कौशल व लिंग भेद के मुद्दे पर भी बात की जाती है जिससे बच्चों को इन सामाजिक कुरीतियों/कुप्रथाओं से बचाया जा सके !

- **ग्राम रसूलपुरनगला के समूह के बच्चों ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के तहत माध्यमिक विद्यालय खुलवाने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा :-** कार्यक्षेत्र का एक ग्राम रसूलपुरनगला जो क़स्बा उसहैत से लगभग 2 Km. की दूरी पर है, गॉव में सरकार द्वारा कक्षा–8 तक के परिषदीय विद्यालय की स्थापना की गई है जबकि आगे की शिक्षा के लिए फिर प्राइवेट विद्यालय ही जाना पड़ता है जिसके लिए सभी लोग आर्थिक रूप से सक्षम नही होते है तो कक्षा–8 के बाद शिक्षा से वंचित हो जाते है ! समस्या को लेकर पिछले लगभग 5 वर्षों से संस्था द्वारा लगातार पैरवी करके विद्यालय की मांग की जाती रही है लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई थी ! एक दिन बैठक के दौरान समूह के बच्चों द्वारा योजना बनाकर संस्था स्टाफ के सहयोग से गॉव के 15-18 वर्ष एक शिक्षा से वंचित बच्चों की सूची एकत्रित की गई और सूची को संलग्न करके शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) को डाक के माध्यम से विद्यालय की मांग के लिए पत्र लिखा गया !

- **बाल समूह, किशोरी व किशोर समूह के बच्चों द्वारा पैरवी करके परिषदीय विद्यालयों में पुस्तकें वितरित करवाई गई :-** परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को समय से पुस्तकें वितरण करवाने के लिए संस्था द्वारा हर वर्ष लगातार शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व ज़िला व राज्य स्तर पर पैरवी की जाती थी लेकिन बावजूद उसके बच्चों को समय से पुस्तकें नहीं मिल पाती थी इस वर्ष में भी बच्चों को पुस्तकें वितरित नहीं हुई थी इसके लिए संस्था स्टाफ द्वारा बाल समूह, किशोर समूह व किशोरी समूह के बच्चों के साथ मिलकर ज़िला बेसिक अधिकारी (BSA) कार्यालय पर एडवोकेसी की गई जिसमे BSA महोदय की अनुपस्थिति में बच्चे खण्ड शिक्षा अधिकारी से मिले और अपनी समस्या से अवगत कराया जिसके परिणाम में 2-3 दिन में बच्चों को पुस्तकें वितरित हुई ! बच्चों की समस्या को ज़िला स्तरीय मीडिया द्वारा भी प्रमुख रूप से प्रकाशित किया गया !

बीएसए कार्यालय पहुंचे स्कूली बच्चे

बीएसए कार्यालय पहुंचे स्कूली बच्चे

आधा शैक्षिक सत्र होने आया बच्चों को नहीं मिली पुस्तकें

- <u>किशोरी समूह की सूझबूझ से एक बालिका का बालविवाह रुकवाया गया</u> :- संस्था स्टाफ द्वारा बच्चों के समूहों के साथ की गई बैठकों के माध्यम से दी गई जानकारी के बाद बच्चों को शादी की सही उम्र की जानकारी मिली जिसके बाद एक दिन ग्राम न्योरा में बैठक के दौरान एक बालिका सोनी (बदला हुआ नाम) उम्र 17 वर्ष ने बताया कि उसके पिता उसकी शादी करना चाहते है जबकि वह मना कर रही है फिर भी घर वाले नहीं मान रहे है इस पर समूह की लड़कियों ने बताया कि पहले हम लोग मिलकर सोनी के पिता से बात करेंगे सके बाद भी यदि वह नहीं मानते है तो हम लोग आगे की कार्यवाही करेंगे ! संस्था स्टाफ को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि बच्चे अपने अधिकारों की बात को लेकर अभिभावकों से बात करने को तैयार हुए है ! बैठक के बाद किशोरियों ने माइलकर सोनी के पिता से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास इतने पैसें नहीं है और फिर तीन तीन बेटियां है अगर अभी से शादी नहीं करेंगे तो वाकी दोनों की शादी कैसे कर पाएंगे ! इस पर किशोरियों एन उनको बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार कहती है अगर 18 वर्ष से पहले लड़की की शादी करोगे टी 2 वर्ष तक की सज़ा और 100000/- तक का जुर्माना पड़ेगा तब कहा से जुर्माना दोगे, इस पर सोनी के पिता ने कहा कि चुप चाप शादी कर देंगे किसी को पता नही चलेगा इस पर किशोरियों ने बताया अगर आप सोनी की शादी करोगी तो सबसे पहले हम खुद 1098 चाइल्ड हेल्प लाइन और 112 पुलिस को फ़ोन कर देंगे ! किशोरियों व सोनी के पिता के बीच काफी देर तक हुई बेहेस के बाद सोनी के पिता के समझ में आ गई और उन्होंने 18 वर्ष से पहले शादी न करने का वादा किया इस प्रकार किशोरियों की समझदारी से एक नाबालिग़ किशोरी का बाल विवाह होने से बाख गया !

<u>बच्चों के नामांकन करवाने में की गई पहल</u> :- संस्था टीम द्वारा ग्राम स्तर पर बच्चों के नामांकन के लिए अलग अलग तरह से पहल कर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है जो इस प्रकार है :-

- <u>6 वर्ष पूर्ण हुए बच्चों का नामांकन करवाना</u> :- संस्था टीम द्वारा माह दिसम्बर/जनवरी में की गई BLD सर्वे के अनुसार 6 वर्ष के बच्चों को चिन्हित किया गया उसी सूची के अनुसार संस्था स्टाफ द्वारा माह अप्रैल से लगातार उन बच्चों को ट्रैक कर नामांकन करवाने के लिए प्रेरित/प्रोत्साहित किया जा रहा है साथ ही साथ विद्यालय के अध्यापकों द्वारा भी संस्था स्टाफ के साथ मिलकर गॉव में भ्रमण कर नामंकन की सूचना की जा रही है और प्रयास है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे! कार्यक्षेत्र के ग्रामों में 6 वर्ष पूर्ण हुए बच्चे जो इतने प्रयास के बाद भी विद्यालय से नहीं जुड सके थे जिसके जानकारी संस्था स्टाफ को हुई तो संस्था साथियों ने बच्चों के घर जाकर ऊनके अभिभावकों के साथ सम्पर्क किया तो बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि अभी हमे नामांकन करवाने की जानकारी नहीं थी, कुछ अभिभावकों ने बताया कि अभी हमारी लड़की छोटी है बाद में करवाएंगे तो कुछ अभिभावकों ने कहा लड़की है यह पढ़कर क्या करेगी ! अभिभावकों द्वारा

मिले जवाबो पर संस्था स्टाफ द्वारा प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि सरकार द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान किया है और हर वर्ष माह अप्रैल से नामांकन सत्र प्रारम्भ हो जाता है इसलिए सभी लोग अपने अपने बच्चों का नामांकन अवश्य करवाएं, इसके अलावा जानकारी देते हुए बताया कि लड़की है तो क्या हुआ वर्तमान में लड़कियां लड़को से ज़्यादा हर क्षेत्र में उन्नति कर रही है इसलिए बिना लड़का लड़की में अंतर समझे सोच को बदलते हुए परिषदीय विद्यालय में अपने अपने बच्चों का नामांकन अवश्य करवाएं !

- कक्षा-5, कक्षा-8 पास, कक्षा-10 पास व कक्षा-12 पास बच्चों का नामांकन करवाना :- संस्था टीम द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए सबसे पहले गॉव/परिषदीय विद्यालय में सम्पर्क कर इस वर्ष कक्षा-5 उत्तीर्ण किये बच्चों की सूची बनाई गई ! ग्राम स्तर पर तैयार की गई सूची के अनुसार संस्था स्टाफ द्वारा घर-घर जाकर बच्चों को ट्रैक किया गया जिसमे सभी बच्चों की ट्रैकिंग के दौरान जानकारी मिली कि कार्यक्षेत्र के ग्रामों में बच्चे है जिनका अभी तक नामांकन नही हो सका है ! संस्था स्टाफ को मिली जानकारी के अनुसार स्टाफ द्वारा उक्त बच्चों के घर जाकर सम्पर्क किया गया तो बच्चों के अभिभावकों द्वारा बताया गया कि हमारे बच्चों ने गॉव के विद्यालय से कक्षा 5 पास कर लिया है लेकिन अब गॉव में कक्षा 5 के बाद विद्यालय नहीं है जूनियर विद्यालय में पढ़ने के लिए दूसरे गॉव में जाना पढ़ेगा और आज कल लड़कियों को अकेले भेजना सरक्षित नहीं है इसलिए हमने अब आगे न पढ़ाने का निर्णय लिया है ! अभिभावकों द्वारा जानकारी मिलने पर संस्था स्टाफ द्वारा बच्चों के अभिभावकों को समझाया गया कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 1 km की परिधि में प्राथमिक विद्यालय जबकि 3 km की परिधि में जूनियर विद्यालय होना चाहिए आपके गॉव से दूसरे गॉव की दूरी 3 कम से ज़्यादा तो है नहीं इसलिए अब सरकार हर कदम पर तो विद्यालय खोलेगी नहीं हम लोगों को ही शिक्षा लेने के लिए विद्यालय तक जाना होगा कहावत है कि प्यासा ही कुएं के पास जाता है तो हम लोग भी एक प्यासे व्यक्ति के समान है जिन्हें शिक्षा लेने के लिए विद्यालय तक जाना होगा ! इसके साथ ही यह भी समझाया कि गॉव के और बच्चे भी जूनियर विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते है तो सब एक साथ एकत्रित होकर जाये जिससे किसी भी प्रकार की सुरक्षा का भय नहीं होगा !

- ड्रॉपआउट व शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल से जोड़ना :- एक ओर जहाँ शिक्षा से जुड़े बच्चों को दूसरे चरण में बनाये रखने के लिए चुनौती है वही दूसरी ओर संस्था टीम द्वाराऐसे बच्चों को भी शिक्षा से जुडवाने के लिए पहल की गई जो या तो कभी स्कूल गए ही नहीं या गए तो बीच में पढाई छूट गई ! ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए संस्था द्वारा ऐसे बच्चों व उनके अभिभावकों के साथ गोष्ठी/बैठकें करके सरकार द्वारा संचालित योजना व स्कीम के बारे में जानकारी देकर नामांकन करवाने के लिए प्रोत्साहित किया गया लोगों को समझाया गया कि परिषदीय विद्यालयों में कक्षा-8 तक की निःशुल्क दी जाती है,

इसी के साथ साथ आपको विद्यालय से किताबे व MDM भी निःशुल्क मिलता है तथा बच्चों जी ड्रेस, स्वेटर, जूते-मोज़े व बैग के लिए 1100 की आर्थिक सहायता भी मिलती है जो DBT के माध्यम से सीधे आपके खाते में प्राप्त होती है ! इसके अतिरिक्त बालश्रमिक विद्यालय योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), सन्त रविदास योजना आदि के बारे में भी जानकारी देकर शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया है ! टीम द्वारा नामांकित करवाए गए बच्चों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	विवरण	बच्चों की संख्या
1	6 वर्ष पूर्ण बच्चों का नामांकन हुआ	B=180, G=201, T=381
2	6-14 वर्ष के ड्रॉपआउट बच्चों का नामांकन	B=18, G=13, T=31
3	6-14 वर्ष के NBS बच्चों का नामांकन	B=4, G=7, T=11
4	14-18 वर्ष के ड्रॉपआउट बच्चों का नामांकन	B=7, G=16, T=23
5	कक्षा-5 पास बच्चों का नामांकन हुआ	B=212, G=166, T=378
6	कक्षा-8 पास बच्चों का नामांकन हुआ	B=49, G=49, T=98
7	कक्षा-10 पास बच्चों का नामांकन हुआ	B=35, G=23, T=58
8	कक्षा-12 पास बच्चों का नामांकन हुआ	B=13, G=2, T=15

- लर्निंग कॉर्नर व बाल गतिविधि केन्द्र (CAC) के माध्यम से की गई पहल :- बच्चों की शैक्षिक स्थिति में सुधार लाने के लिए व उनको शिक्षा से जोड़े रहने के लिए संस्था द्वारा कार्यक्षेत्र के 3 ग्रामों (मीरासराय, अल्लापुरभोगी व गढ़ियाचौरा) में बाल गतिविधि केन्द्र का संचालन किया है जबकि 19 ग्रामों में बच्चों के लिए लर्निंग कॉर्नर संचालित है ! बाल गतिविधि केन्द्र के माध्यम से बच्चों को 2 शिफ्टों में पढ़ाया जाता है जिसमे प्रथम शिफ्ट में कभी स्कूल न जाने वाले बच्चों व ड्रॉपआउट बच्चों को पढ़ाया जाता है जबकि दूसरी शिफ्ट में स्कूल जाने वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसके अतिरिक्त लर्निंग कॉर्नर पर स्कूल जाने वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है ! उक्त केन्द्रों पर बच्चों को पढ़ाने के लिए साथियों द्वारा बच्चों के साथ मिलकर अलग-अलग प्रकार का TLM भी बनाया जाता है जिसके माध्यम से फिर बच्चों को पढ़ाया जाता है क्यूंकि ऐसा मानना है कि जब बच्चे खुद से TLM बनायेंगे तब उसका प्रयोग व हिफाज़त भी करेंगे !

<u>एडवोकेसी के माध्यम से की गई पहल</u> :- टीम द्वारा ग्राम स्तर पर बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा व उनके पोषण से सम्बंधित अधिकारों को सुनिश्चित करवाने के लिए ग्राम स्तर पर जागरूकता के साथ साथ सम्बंधित विभागों के साथ भी मिलकर जन पहल की जाती है जो इस प्रकार है :-

- <u>कार्यक्षेत्र के ग्रामों में बच्चों के लिए माध्यम विद्यालय की मांग</u> :- विकास खण्ड उसावां में कक्षा-8 के बाद सरकारी विद्यालय न होने के कारण बच्चे आगे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते है इसको लेकर संस्था टीम द्वारा पिछले 5 वर्षों से माध्यम विद्यालय की मांग चल रही थी, जिसमे सबसे पहले DIOS महोदय से मिलकर संस्था के माध्यम से पत्र देकर बात की गई उसके बाद IGRS पोर्टल पर शिकायत की गई जिसके जवाब में ज़िला स्तर से गलत आख्या लगाने में पुनः शिकायत की गई ! वर्ष 2018 में बच्चों के साथ मिलकर ज़िलाधिकारी कार्यालय पर एडवोकेसी हुई जिसमे ज़िलाधिकारी महोदय ने विद्यालय खुलवाने व बच्चों को साइकिल दिलवाने का आश्वासन दिया ! समाधान न मिलने पर संस्था द्वारा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, व शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) के नाम पत्र लिखा गया व वर्तमान स्तर में बच्चों द्वारा स्वयं से राज्य शिक्षा मंत्री (माध्यमिक शिक्षा) को पत्र लिखकर विद्यालय की मांग की गई ! माह अगस्त 2022 में संस्था स्टाफ द्वारा स्थानीय विधायक से मिलकर विद्यालय की मांग की गई तथा संस्था स्तर से राज्य अल्पसंख्यक आयोग, राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, राज्य महिला आयोग को पत्र लिखे गए ! संस्था द्वारा पिछले 5 वर्षो की पैरवी के चलते विकास खण्ड उसावां के क़स्बा उसहैत व समरेर ब्लॉक में 1-1 विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ जो अभी भी निर्माणाधीन है !

- <u>डायट के माध्यम से प्रशिक्षु अध्यापकों की नियुक्ति करवाया</u> :- कार्यक्षेत्र के 28 परिषदीय विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात व बच्चों का शैक्षिक स्तर देखने के लिए संस्था कार्यकर्ताओ

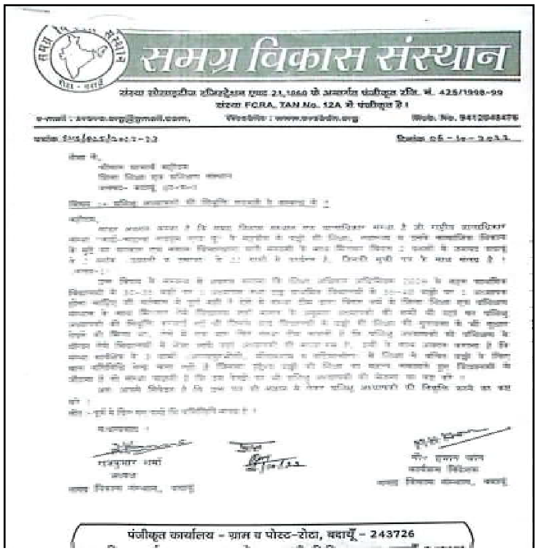

द्वारा अपने अपने कार्यक्षेत्रों के विद्यालयों में जाकर **RTE** का अध्ययन सर्वे किया तथा नामांकित बच्चों की संख्या को भी नोट किया ! कार्यकर्ताओं द्वारा किये गए सर्वे को संस्था स्टाफ द्वारा स्टाफ की मासिक बैठक में साझा किया गया, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बच्चों की शैक्षिक स्थिति में सुधार लेने के लिए हम लोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य से बात कर प्रशिक्षु अभ्यर्थियों को कार्यक्षेत्र के विद्यालयों में पढ़ाने के लिए भेजें तो बच्चो की शैक्षिक स्थिति में सुधार भी आ सकता है, इस पर ध्यान देते हुए सबसे पहले संस्था द्वारा वर्ष **2017**

में डायट के साथ समन्वय बनाकर BTC करने वाले प्रशिक्षुओं को कार्यक्षेत्र के विद्यालय में पढ़ने के लिएय भेजने की बात की गई थी जिसमे डायट का पूर्ण सहयोग भी मिला और लगातार 2 वर्ष तक प्रशिक्षु अध्यापकों की नियुक्ति भी हुई लेकिन अचानक कोविद के आ जाने से डायट के साथ हुए समझौते में ब्रेक लग गया था जिसे पुनः शुरू करने के लिए संस्था टीम द्वारा दिनांक 10-06-2022 को डायट प्राचार्य जी से मिलकर पुनः समन्वय बनाया गया जिसके चलते एक बार फिर से डायट प्राचार्य द्वारा संस्था कार्यक्षेत्र के विद्यालयों में प्रशिक्षु अध्यापकों की नियुक्ति की जाने लगी है !

- 14वें वित्त आयोग से विद्यालय की ढांचागत व्यवस्था में सुधर करवाना :- विगत वर्ष में सरकार द्वारा विद्यालय व आंगनवाड़ी केन्द्रों की ढांचागत व्यवस्था में सुधार के लिए 14वें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग करने के लिए ग्राम पंचायतों को आदेशित किया गया था जिसके लिए टीम द्वारा CBO/SMC सदस्यों के साथ मिलकर विद्यालय की ढांचागत व्यवस्था जैसे:- चाहरदीवारी, शौचालय व रसोईघर का नव-निर्माण तथा कमरों की मरम्मत, विद्यालय में टाईलीकरण आदि बिन्दुओं को शामिल कर SMC से प्रस्ताव पास करवाकर ग्राम प्रधान को भी सौंपे गए तथा उन पत्रों की कॉपी ब्लॉक/ज़िला स्तरीय अधिकारीयों को भी दी गई तो ग्राम प्रधान व BDO महोदय ने आश्वासन देते हुए विद्यालयों की ढांचागत व्यस्था में सुधार करवाने की बात कहीं लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी विद्यालयों की ढांचागत व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो संस्था टीम द्वारा ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखित में पत्र देकर विद्यालयों की ढांचागत व्यवस्था में सुधर करवाने को बताया इस पर BSA महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए समय समय पर विद्यालयों की ढांचागत व्यवस्था में करवाया जाता रहा परन्तु कुछ विद्यालय ऐसे रहे जिनमे ऑपरेशन कायाकल्प के तहत कोई काम नहीं हुआ था ! इसके लिए संस्था द्वारा इस वर्ष माह जुलाई में संस्था द्वारा कार्यक्षेत्र के समस्त 23 परिषदीय विद्यालयों में RTE ASSESMENT करवाया गया जिसमे शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मानक के अनुसार विद्यालय सक्रियकरण के मानकों पर जानकारी एकत्रित की गई, उसके बाद अध्ययन प्रपत्रों का विश्लेषण करते हुए अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई !
  तैयार रिपोर्ट को ज़िला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ साझा की गई जिस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जल्द ही विद्यालय में व्याप्त कमियों को दूर करवाने का आश्वासन दिया जिसके चलते माह अक्टूबर में कार्यक्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में व्याप्त कमियों को दूर करवाते हुए विद्यालयों की ढांचागत व्यवस्था में सुधार करवाया गया !

-

संस्था के प्रयास द्वारा कार्यक्षेत्र के विद्यालयों में हुए सुधार पर एक नज़र

बाउंड्रीवाल बनने से पहले स्कूल

बाउंड्रीवाल बनने के बाद स्कूल

टाईलीकरण से पहले विद्यालय

टाईलीकरण के बाद विद्यालय

टंकियां लगने के बाद विद्यालय

टंकियों पर हाथ धोते बच्चे

बाउंड्रीवाल निर्माण के दौरान की स्थिति

बाउंड्रीवाल निर्माण के बाद की स्थिति

- परिषदीय विद्यालयों में MDM खाने के स्थान पर टीन शेड बनवाए गए :- वर्ष 2018 में संस्था द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर कार्यक्षेत्र के 28 विद्यालय व अन्य कार्यक्षेत्र के 72 विद्यालयों में एक RTE सर्वे किया गया जिसके बाद सर्वे की शाब्दिक रिपोर्ट बनाई गई और ज़िला स्तर पर एक कंसल्टेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे VOP के सहयोग से राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष को आमंत्रित किया था परन्तु समय की व्यस्तता के चलते SCPCR से प्रतिनिधि के रूप में SCPCR की सदस्य श्रीमती ज्योति सिंह उपस्थित हुई ! कार्यक्रम में जनपद स्तरीय समस्त अधिकारी उपस्थित रहे और सभी के समक्ष संस्था द्वारा 100 विद्यालयों के सम्बन्ध में तैयार रिपोर्ट साझा की गई ! रिपोर्ट में मिली कमियों पर संज्ञान लेते हुए SCPCR द्वारा कमियों को पूर्ण करवाने के लिए BSA को आदेशित किया ! उसके बाद संस्था द्वारा वर्ष 2018 में MDM व शौचालय की गुणवत्ता पर अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार कर ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के साथ साझा की गई थी तो BSA शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा उक्त पत्र जारी कर व्यवस्थाएं ठीक करवाई गई थी लेकिन बच्चों द्वारा MDM खुले स्थान पर खाने पर ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय के बरामदे में खाने के लिए आदेशित किया था उसके बाद से संस्था द्वारा समय समय पर MDM खुले स्थान पर खाए जाने को लेकर अध्यापकों के साथ भी वार्ता की जाती रही, जिसके चलते अध्यापकों द्वारा बच्चों को बरामदे में बिठाकर MDM खिलाया जाने लगा था ! लेकिन उसके बाद भी संस्था ने अपनी पैरवी को जारी रखा और MDM के लिए उचित स्थान के लिए पैरवी की गई ! जिसके चलते वर्ष 2022 में जाकर संस्था द्वारा की जा रही पैरवी का असर देखने को मिला और संस्था कार्यक्षेत्र के ग्रामों के साथ साथ ज़िले के समस्त परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए MDM खाने के टीन शेड बनवाए गए है जिससे अब सभी बच्चे टीन शेड में बैठकर मज़े से खाना खाते है !

- <u>बालिकाओं को जीवन कौशल प्रशिक्षण देना</u> :- बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विगत कई वर्षों से जन पहल के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम करती चली आ रही है, कार्यक्षेत्र के ग्रामों में बच्चों के साथ बैठकों में बच्चों को सशक्त और आत्म निर्भर बनाने के लिए जीवन कौशल की जानकारी भी दी जाती है ! संस्था स्टाफ की मासिक बैठक में चर्चा कर योजना बनाई गई कि यदि हम इस प्रशिक्षण को सरकार के साथ मिलकर कार्यक्षेत्र के समस्त परिषदीय विद्यालयों व कस्तूरबा गाँधी आवसीय विद्यालयों में करेंगे तो इससे ज़्यादा संख्या में बालिकाओं को जीवन कौशल पर समझ बन सकेगी इसके लिए BSA महोदय के साथ पैरवी कर आदेश जारी करवाने की बात हुई और उसी के अनुसार BSA महोदय से मिलकर बात हुई जिस पर BSA महोदय द्वारा सम्बंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापको के नाम आदेश जारी करते हुए प्रशिक्षण आयोजित करवाने के लिए कहा गया ! BSA द्वारा जारी पत्र के माध्यम से निश्चित दिनांको के आधार पर विद्यालयों में प्रशिक्षण आयोजित किये गए, 02 कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय व 05 उच्च प्राथमिक विद्यालय की लगभग 2,000 बालिकाओं को जीवन कौशल पर प्रशिक्षण दिया गया ! परिषदीय विद्यालयों में प्रशिक्षण सम्पन्न होने के बाद संस्था टीम द्वारा शहर के 05 इन्टर कॉलेज में भी बालिकाओं को उक्त प्रशिक्षण दिया गया जिसमे 4000 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया !

कार्यालय: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद–बदायूँ (उ0प्र0)।

प्रेषक,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद–बदायूँ।

सेवा में,

[illegible]

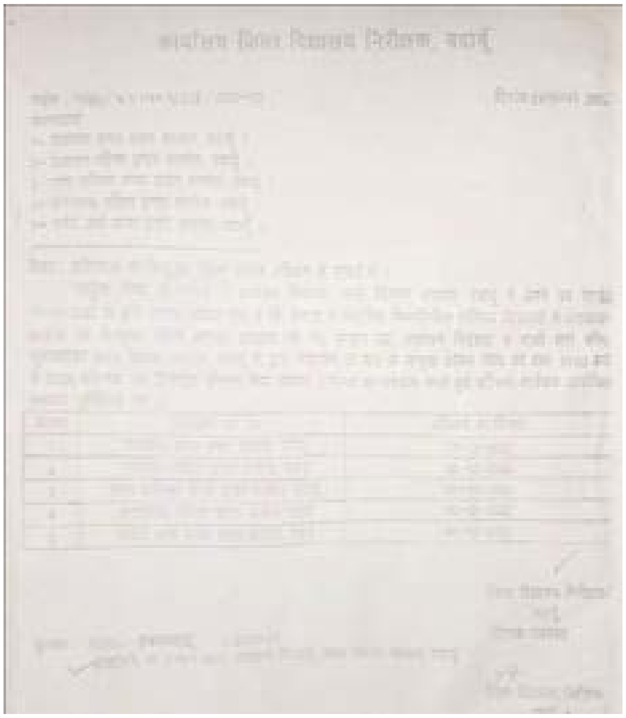

कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूँ

[illegible]

- <u>बालश्रम रोकने के लिए की गई पहल</u> :- टीम द्वारा कार्यक्षेत्र के ग्रामों में बच्चों को बालश्रम से रोकने के लिए समुदाय के लोगों के साथ समय समय पर जागरूकता बैठकें आयोजित की गई जिसके माध्यम से बालश्रम से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी जानकारी दी गई, इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय बालश्रम उन्मूलन दिवस के अवसर पर ग्राम रसूलपुर नगला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया ! कार्यक्रम में सबसे पहले बच्चों के साथ मिलकर जागरूकता रैली निकाली गई उसके बाद ग्राम प्रधान, चाइल्ड लाइन व समुदाय के लोगों के साथ मिलकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे बालश्रम अधिनियम व बालश्रम से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई ! इसके अतिरिक्त बालश्रम रोकने के लिए संस्था द्वारा उपश्रमायुक्त बरेली को पत्र लिखकर बैंड बाजों में बच्चों से करवाए जा रहे कार्य को रोकने के लिए पत्र लिखा गया जिसके लिए उपश्रमायुक्त बरेली द्वारा मण्डल के समस्त सहायक श्रमायुक्त व श्रम प्रवर्तन अधिकारी को आदेशित कर बालश्रम रोकने के लिए आदेश जारी किया !

कार्यालय उप श्रमायुक्त, बरेली क्षेत्र, 188 सिविल लाईंस, बरेली।

संख्या /[illegible]-2022 दिनांक

सहायक श्रमायुक्त, शाहजहाँपुर, बदायूँ।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बरेली, बदायूँ, शाहजहाँपुर, पीलीभीत।

श्री मो० [illegible] कार्यक्रम निदेशक समग्र विकास संस्थान, बदायूँ के पत्रांक [illegible]/831/2022-23 दिनांक 11.11.2022 [illegible] का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बैंड बाजों के कार्य में बच्चों से कार्य कराये जाने पर कार्यवाही कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त की जांच/निरीक्षण करवाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोक्त।

(दिव्य प्रताप सिंह)
उप श्रमायुक्त, बरेली क्षेत्र,
बरेली।

संख्या /[illegible] दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि: श्री मो० [illegible] कार्यक्रम निदेशक समग्र विकास संस्थान बदायूँ को सूचनार्थ प्रेषित।

(दिव्य प्रताप सिंह)
उप श्रमायुक्त, बरेली क्षेत्र,
बरेली।

- <u>कोविड प्रभावित बच्चों के लिए की गई पहल</u> :- मार्च 2020 के बाद से दुनिया में हर जगह कोरोना का प्रकोप फैल गया था ऐसे में आवश्यक/आपातकालीन सेवाओं के अलावा सभी चीज़ें बन्द थी ! बहुत लोगों ने अपने परिवार जनों को अचानक खो दिया कुछ ने अपने बच्चों को खोया तो कुछ ने अपने अभिभावकों को खो दिया, कोरोना के दौरान अनाथ या एकल हुए बच्चों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारम्भ किया जिसके तहत कोविड से अनाथ या एकल हुए बच्चों को 4000/- की आर्थिक सहायता का प्रावध किया गया लेकिन कुछ समय बाद इस योजना के क्रियान्वयन में चुनौतियां आने लगी क्यूंकि लोगों के पास कोई मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं था इसलिए सरकार द्वारा एक अन्य योजना मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) का संचालन किया जिसके तहत बच्चों को 2500/- की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है, संस्था टीम द्वारा कार्यक्षेत्र के 44 बच्चों का इस योजना में आवेदन करवाया करवाया गया जिसके तहत सभी बच्चों को तीन तीन माह के 7500/- की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है ! आर्थिक सहायता दिलवाने के साथ साथ संस्था द्वारा ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए अलग से अध्यापको को नियुक्त किया है जो घर घर जाकर बच्चों को निःशुल्क टूशन देते है !

माहवारी जागरूकता अभियान

संस्था स्टाफ द्वारा ग्राम स्तर पर आयोजित किशोरी व महिला समूह की बैठक में किशोरी बालिकाओं व् महिलाओं के साथ माहवारी के मुद्दे पर जानकारी देते हुए समझया गया कि वह कोई बुरी या गन्दी चीज़ नहीं है यह 13-18 वर्ष की आयु में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है जो किशोरी को उसके माँ बनने के लिए अवसर देता है जब भी किसी को किशोरी को यह होता है उसे घबराना नहीं चाहिए सबसे पहले अपने से बड़े (माँ, बहन, भाभी, चाची आदि) से सलाह लेना चाहिए ! किशोरियों को जानकारी देते हुए बताया कि मासिक धर्म के समय हमे गर्म चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए हमे ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए और सेनेटरी पैड का प्रयोग करना चाहिए ! पीरियड्स के विषय पर सहयोगी संस्था क्राई द्वारा #Letstalkaboutperiod नाम का एक राष्ट्रीय campaign चलाया गया जिसका उद्देश्य पीरियड्स के खिलाफ पर चुप्पी तोड़ते हुए पर खुलकर बात करना था ! संस्था द्वारा इस अभियान में शामिल होने के लिए जनपद स्तर पर एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई जिसे सबसे पहले ज़िलाधिकारी बदायूं (श्रीमती दीपा रंजन) के साथ मिलकर शुरू किया फिर धीरे धीरे समस्त ज़िलास्तरीय अधिकारियों के साथ इस अभियान को चलाया गया, बाद में टीम द्वारा इसे कार्यक्षेत्र के ग्रामों में लेकर जाया गया जहाँ महिला व पुरुष दोनों को माहवारी के विषय पर जानकारी दी गई, इसके अतिरिक्त बाला पुस्तकों के माध्यम से भी किशोरियों को माहवारी के विषय पर जागरूक किया गया !

संस्था द्वारा किये कार्यों का आंकिक विवरण

क्र० सं०	विवरण	संख्या
1	Individual	17
2	Group Outreach	129
3	Small Group Outreach	158
4	Night outreach	48
5	Open House	12
6	Interface Meeting	01
7	VCPC Meeting	03
8	Visibility Meeting	09
9	Volunteer Meeting	02

क्र० सं०	विवरण	कुल बैठकें	उपस्थित प्रतिभागी
1	बाल समूह बैठक	192	B=954, G=1349, T=2303
2	किशोर समूह बैठक	58	B=430, T=430
3	किशोरी समूह बैठक	143	G=1502, T=1502
4	CBO समूह बैठक	154	M=394, F=1234, T=1628
5	महिला मण्डल बैठक	97	F=933, T=933
6	SMC बैठक	23	M=97, F=185, T=282
7	मातसमिति बैठक	3	F=32, T=32
8	जीवन कौशल बैठक	96	M=373, F=1045, T=1418

बच्चों के साथ की गई अन्य गतिविधियाँ

बालदिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते बच्चे